बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में दिनांक–29.04.2016 को अपर समाहर्त्ताओं के साथ सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा एवं बैठक की कार्यवाही के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी।

1. **अभियान भूमि दखल–देहानी** :–इस अभियान की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रपत्र–1 में 21745, प्रपत्र–2 में 13 जिलों द्वारा कुल 1058 एवं प्रपत्र–3 में 24 जिलों द्वारा कुल 1058 मामला अपलोड किया गया। जिन जिलों द्वारा ऑपरेशन भूमि दखल देहानी का मामला अपलोड नहीं किया गया है उन जिलों के अपर समाहर्त्ताओं को प्रत्येक माह अपलोड कराने का निदेश दिया गया।

अभियान भूमि दखल–देहानी को अब 30 जून, 2016 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। जिन जिलों में बेदखली के मामले में प्रगति नहीं आयी है उन जिलों में सुनियोजित ढ़ंग से कैम्पों का आयोजन करने का निदेश दिया गया है। समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि नालन्दा में 320 एवं सारण में 465 बेदखली का मामला दर्शाया गया है। यदि प्रतिवेदित पर्चाधारियों की संख्या में कोई परिवर्तन हो तो इससे सम्बन्धित प्रतिवेदन औचित्य के साथ सम्बन्धित जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 7/8 एवं सभी जिला)

2. **अभियान बसेरा** :– इस अभियान के तहत वासभूमि उपलब्ध कराये गये महादलित परिवारों की समीक्षा की गयी। जिसमें 36 जिला शत–प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर चुके है। शेष 2 जिला यथा सहरसा, अररिया पूरा नहीं करने के कारण उसे अभियान बसेरा के अन्तर्गत ले लिया गया है।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिन–जिन जिलों से राशि की माँग की गयी थी, उस अनुपात में राशि का व्यय नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि क्रयनीति के तहत राशि की माँग की जाय किन्तु भूमि तय होना चाहिए और भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के सत्यापन के पश्चात् चेकलिस्ट तैयार कर प्रस्ताव भेजा जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 7 एवं सभी जिला)

3. **दाखिल–खारिज** :– दाखिल–खारिज रिपोर्ट को समय पर ऑनलाईन करने का निदेश दिया गया। समीक्षा के दौरान ऑपरेशन कैम्प के आँकड़ों में पाया गया कि कुछ जिलों में मोटेशन कैम्प में बहुत कम आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उदाहरणस्वरूप

नवादा में 610 कैम्प में 3703 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रकार एक दिन के कैम्प में लगभग 6 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार मुंगेर में 6, बक्सर–6, जहानाबाद–8, अरवल–8, शेखपुरा–9 एवं रोहतास में 9 आवेदन मोटेशन कैम्प में प्राप्त हुए है।

इससे स्पष्ट होता है कि मोटेशन कैम्प के संदर्भ में जनता को जागरूक एवं प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है अथवा राजस्व कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त कर उसे भी मोटेशन कैम्प में शामिल कर दिया गया है।

ऐसी स्थिति में सभी अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों को निदेश दिया कि मोटेशन कैम्प का प्रचार–प्रसार पंचायत स्तर पर कराकर शिविर का आयोजन कराया जाय ताकि मोटेशन सम्बन्धित कार्रवाईयों में तेजी लायी जा सके।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 9 एवं सभी जिला)

4. अनुमंडल स्तर पर न्यायालयों का निर्माण :– अनुमंडल स्तर पर न्यायालय एवं न्यायिक पदाधिकारी के आवास हेतु भूमि देखी जाय, जिसमें न्यायाधीश की सहमति भी हो एवं भवन का नक्शा सहित लीज नीति के तहत विधि विभाग से सहमति हेतु भेजी जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 6, भू–अर्जन एवं सभी जिला)

5. शेष मद में आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र :– शेष मद में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं रिर्टन I की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि विहित प्रपत्र में जमुई, बेगूसराय, शिवहर से प्रतिवेदन प्राप्त है। शेष जिलों से विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं रिर्टन I उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी –9 एवं सभी जिला)

6. आरबीट्रेशन :– भू–अर्जन पदाधिकारी की बैठक में ज्ञात हुआ कि आरबीट्रेशन NH1 का केस लम्बित है जिसका uptodate position देना है। आरबीट्रेशन केस लम्बित रहने के कारण राशि का भुगतान नहीं हो सका है। इस केस को अतिशीघ्र निष्पादित किया जाय।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि मधेपुरा में आरबीट्रेशन का केस निष्पादित किया गया है।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी –भू–अर्जन एवं सभी जिला)

7. भू–हदबंदी :– भू–हदबंदी मामलों की गहन समीक्षा के दौरान समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता एवं अनुमंडलाधिकारी के यहाँ लंबित वादों के संबंध में निदेशित किया गया कि इसे त्वरित गति से समय सीमा के अंदर निपटाया जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 7 एवं सभी जिला)

8. **न्यायालय** :–निदेश दिया गया कि CWJC, MJC, LPA एवं SLP के पुराने मामलों में ध्यान देकर उसका निष्पादन किया जाय। अद्यतन प्रतिवेदन को upload किया जाय।

समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया कि सी0डब्लू0जे0सी0 एवं एम0जे0सी0 मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाय और अद्यतन प्रतिवेदन को upload किया जाय। ज्ञात हुआ कि Cases का अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि एम0जे0सी0 17 केस लम्बित है, उक्त एम0जे0सी0 के पारित आदेश का अनुपालन किया जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 11 एवं सभी जिला)

9. **AC/DC Bill** :– विभिन्न जिलों में लंबित AC/DC Bill की समीक्षा की गई। समीक्षा में अभी तक 43 करोड़ रूपये लंबित Bill पाये गये। निदेश दिया गया कि लम्बित AC/DC Bill को शीघ्र समायोजित किया जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 5 एवं सभी जिला)

10. **जनशिकायत** :– जनशिकायत के मामले को त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश सभी अपर समाहर्त्ताओं को प्रधान सचिव द्वारा दिया गया।

(कार्रवाई– जनशिकायत कोषांग एवं सभी जिला)

11. **निगरानी** :– निगरानी के लंबित मामलों को त्वरित गति से निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– निगरानी कोषांग एवं सभी जिला)

12. **National Population Register (NPR)**:– जिन जिलों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, वहाँ से जल्द–से–जल्द उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही निदेश दिया गया कि जनगणना एवं National Population Register (NPR) का अलग–अलग उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई– प्रशाखा पदाधिकारी–4 एवं सभी जिला)

13. <u>भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना :–</u>

(1) इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 17 जिलों के डाटा विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया गया है तथा 06 जिला का डाटा आंशिक रूप से विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा राज्य के गया, पटना एवं नवादा जिला का भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री का कार्य पूर्ण है परन्तु विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित नहीं किया गया है। शेष जिलों में कार्य प्रगति पर है।

बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ता को पुनः निदेश दिया गया कि भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना का प्रतिवेदन नियमित रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया गया है। बैठक में यह भी निदेश दिया गया कि इस योजना के प्रगति के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा प्राथमिकता है आधार पर इस योजना का कार्य पूर्ण करने का भी निदेश दिया गया है।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

(2) भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित 25 बिन्दु का चेकलिस्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध निदेशालय का पत्रांक–143 दिनों 28.01.2015 द्वारा किया गया है। कतिपय जिलों द्वारा उपलब्ध कराये चेकलिस्ट में विभिन्न प्रकार की विसंगतिया है। जिसके आलोक में निदेशालय द्वारा पुनः प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में निदेशक महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि शीघ्र अद्यतन प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

यह योजना के अन्तर्गत प0 चम्पारण एवं पटन जिला द्वारा अबतक चेकलिस्ट उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन जिला के अपर समाहर्त्ता को पत्रांक–143 दिनांक 28.01.2015 का अनुपालन शीघ्र करने का निदेश दिया गया है।

अनुपालन :– अपर समाहर्त्ता, पटना एवं प0 चम्पारण।

(3) भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित व्यय का सत्यापित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध निदेशालय का पत्रांक–199 दिनांक 10.11.2015 द्वारा किया गया है। कतिपय जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेशालय में संधारित आकड़ों में काफी भिन्नता है। जिसे स्पष्ट करने हेतु निदेशालय द्वारा जिलों को अनुरोध किया गया है। निदेश दिया गया कि उक्त के आलोक में अद्यतन प्रतिवेदन शीघ्र निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रतिवेदन सारण, भागलपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, सिवान, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर एवं सहरसा जिलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है इन्हें प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

अनुपालन :– सभी अपर समाहर्त्ता।

(4) भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक कर योजना के अद्यतन स्थिति से निदेशालय को अवगत कराने का अनुरोध निदेशालय का पत्रांक–973 दिनांक 28.05.2015 द्वारा सभी जिलों से किया गया था। इससे संबंधित बैठक की कार्यवाही बेगूसराय, कटिहार, नवादा, रोहतास, सीतामढ़ी, शिवहर, पटना, बांका, दरभंगा, मधुबनी एवं सहरसा जिला द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन जिलों को बैठक की कार्यवाही शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

14. <u>डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण :–</u>

केन्द्र प्रायोजित योजना छस्ल्डच के अन्तर्गत सभी अंचलों में डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार 264 अंचलों में पूर्ण कर लिया गया है। भवन निर्माण विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार राज्य के 38 अंचलों में स्थल अनुपलब्धता के कारण भवन निर्माण कार्य बाधित है। उक्त के आलोक में निदेश दिया गया कि संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता संबंधित अंचलाधिकारी से वार्त्ता कर भवन निर्माण कार्य हेतु स्थल शीघ्र उपलब्ध करायेंगे तथा भवन निर्माण कार्य का आवश्यक निरीक्षण भी करेंगे।

डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण के उपरान्त भवन प्राप्त करने हेतु निदेशालय के पत्रांक 1763 दिनांक 18.09.2015 द्वारा विहित प्रपत्र में Building Take Over कर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त के आलोक में प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

15. भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना :–सर्वप्रथम भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना का व्यय का सत्यापित प्रतिवेदन देने का निदेश सभी अपर समाहर्त्ताओं को दिया गया। इस हेतु निदेशालय के पत्रांक–1992 दिनांक 10.11.2015 द्वारा उक्त योजना से संबंधित वित्तीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

सभी अपर समाहर्त्ताओं को पुनः जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि उक्त योजना को क्रियान्वयन करने हेतु जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जिसके नोडल पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता को नामित किया गया है। इसकी

सूचना निदेशालय पत्रांक–973, दिनांक–28.05.2015 द्वारा सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है। निदेशित किया गया कि अगले महीने तक सभी जिलों से जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित कर बैठक की कार्यवाही निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

16. डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार :– केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP के अंतर्गत सभी अंचलों में डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। बताया गया कि 38 अंचलों में जमीन की अनुपलब्धता के कारण भवन निर्माण कार्य बाधित है। संबंधित अपर समाहर्त्ताओं को उक्त भवन निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन की मांग निदेशालय पत्रांक–1483, दिनांक–25.09.2014 द्वारा किया गया है। कतिपय जिलों द्वारा उक्त से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, वैसे जिलों को संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

(कार्रवाई– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

<u>बिहार सरकार</u>
<u>राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग</u>

ज्ञापांक–10 / सम0अ0स0(बैठक)कार्यवाही–43 / 2014–136(10)/रा0,पटना–15, दिनांक–16-05-16

FAX / MAIL.

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता / माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारीगण / सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

D:\Revenue 2016\Sec 10\ADM Meeting\Proceeding ADM 29.04.2016.doc